कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **राजस्थान राज्य कौशल विकास निगम (आर.एस.एल.डी.सी.) का स्कीम कॉरडिनेटर व प्रबन्धक 5 लाख रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**
- **आर.एस.एल.डी.सी. का कार्यालय किया गया सील**
- **आरोपियों के आवास एवं अन्य ठिकानों सहित 4–5 स्थानों की सर्च जारी**

जयपुर, *11 सितम्बर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की स्पेशल यूनिट द्वितीय, जयपुर इकाई द्वारा आज कार्यवाही करते हुये अशोक सांगवान स्कीम कॉर्डिनेटर (जी.टी.) ग्रांट थोरेन्टन, आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर एवं राहुल कुमार गर्ग सहायक आचार्य हाल प्रबन्धक (प्रतिनियुक्ति) आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर को परिवादी से 5 लाख रुपये रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की स्पेशल यूनिट द्वितीय जयपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी फर्म द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तथा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना में किये गये कार्य के 1 करोड़ 50 लाख रुपये के लम्बित बिल पास करने, ब्लैक लिस्ट से हटाने, जवाब देने के लिये एक्सटेंशन (समय देने) एवं बैंक गारंटी जप्त नहीं करने की एवज में अशोक सांगवान स्कीम कॉर्डिनेटर (जी.टी.) ग्रांट थोरेन्टन, आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर एवं राहुल कुमार गर्ग सहायक आचार्य हाल प्रबन्धक (प्रतिनियुक्ति) आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर द्वारा 5–6 लाख रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी की स्पेशल यूनिट द्वितीय, जयपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पुष्पेन्द्र सिंह राठौड़** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज **उप अधीक्षक पुलिस श्री मांगीलाल, पुलिस निरीक्षक श्री सुभाष मील** एवं उनकी टीम द्वारा ट्रेप कार्यवाही करते हुये अशोक सांगवान पुत्र श्री काशीराम जाट निवासी वार्ड नं. 18, सरदारशहर, जिला चूरू हाल किरायेदार 3 एम.ए. 100, इन्द्रागांधीनगर, जयपुर हाल स्कीम कॉर्डिनेटर (जी.टी.) ग्रांट थोरेन्टन, आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर एवं राहुल कुमार गर्ग पुत्र श्री रमेश चन्द्र गर्ग निवासी मकान नं0 45, पंचवटी कॉलोनी, गुर्जर की थड़ी, जयपुर हाल सहायक आचार्य, महिला अभियान्त्रिकी कॉलेज, अजमेर हाल प्रबन्धक (प्रतिनियुक्ति पर) आर.एस.एल.डी.सी. जयपुर को परिवादी से **5 लाख रुपये** रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया। प्रकरण के संबंध में आई.ए.एस. श्री नीरज के. पवन चैयरमेन, आर.एस.एल.डी.सी. एवं आई.ए.एस. प्रदीप कुमार गवडे मुख्य प्रबन्धक, आर.एस.एल.डी.सी. के मोबाईल जांच हेतु कब्जे में लिये गये हैं तथा इनकी भूमिका की विस्तृत एवं गहन जांच की जा रही है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपियों के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं. 1064*** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं. 94135–02834*** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।